फर्द अहकाम

नाम न्यायालय ईश्वर सिंह बनाम बाबूलाल

केस संख्या 54/2012

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/4/25	पत्रावली पेश ... अन्य राज्य कार्य में ... अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/4/25 को पेश हो।
	28/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/5/25 को पेश हो।
	13/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 का जवाब पेश का अवसर बंद किया जाता है। वास्ते बहस हेतु दिनांक 20/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर (जयपुर द्वितीय)
	20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 उप.। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 26/5/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	26/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी की ओर से साक्ष्य पेश की। साक्ष्य बंद किये जाते हैं। वकील उभय पक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। वादी का डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार कार्यवाही बाद दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 54/2012
निर्णय दिनांक : 26.05.2025

उनवान

1. ईश्वर सिंह पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र 48 वर्ष निवासी प्लाट नम्बर 20, कृष्णा कॉलोनी बी, महेश नगर, जयपुर ।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पंचौली पुत्र कल्याण पंचौली निवासी पंचौलियो की ढाणी, गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. बृजमोहन सैनी पुत्र नामालूम जाति–सैनी, निवाली–ग्राम–गोल्यावास, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955

निर्णय

वादी ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 का पेश किया है जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 2.22 है0 वाके ग्रांम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि के खातेदार भंवर लाल पुत्र पॉचूराम की 20910 वर्गमीटर भूमि में से भंवर लाल जरिये मुखत्यार आम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1997 को 380.87 वर्गमीटर (3.01 बिस्वा) भूमि क्रय की तथा वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी राजकीय सेवा में कार्यरत होने से अक्सर बाहर रहता है, जिससे वादी समय समय पर वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की देखभाल करता रहता है। प्रांतेवादीगण भू–माफिया व्यक्ति है, जो वादी की वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि को हडपना चाहते है, जिसका कि उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 22.3.2012 को वादी जब वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित अपनी भूमि को संभालने मौके पर गया तो प्रतिवादीगण 8–10 अन्य व्यक्तियो के साथ एकराय होकर वादी की उक्त भूमि पर आये तथा उक्त भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण व निर्माण करने की बातचीत करने लगे, जिस पर वादी ने उनसे उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तो प्रतिवादीगण व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति वादी से नाराज हो गये तथा वादी से कहा कि उक्त भूमि से तुम्हारा कोई संबंध व सरोकार नहीं है, उक्त भूमि पर हम निर्माण कार्य करेगे, जिसका वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादी के साथ गाली गलौच की तथा वादी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गये, जिससे हल्ला सुनकर मौके पर राह चलते व्यक्तियो की काफी संख्या में भीड इकट्ठी हो गई, जिससे प्रतिवादीगण व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति उस समय तो मौके पर से चले गये, लेकिन जाते समय वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति संस्था इत्यादि को विकय, हस्तान्तरित करके रहेगे, जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी शान्ति प्रिय, इज्जतदार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

व सरकारी कर्मचारी व न्याय में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादीगण धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली व भू–माफिया व्यक्ति है, जिससे वादी प्रतिवादीगण का मुकाबला मान्य न्यायालय की सहायता के बिना करने में असमर्थ है, जिससे वादी के पास मान्य न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है, जिससे वादी मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति संस्था इत्यादि को विकय, हस्तान्तरित कर कब्जा नहीं संभलावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। वाद में विवादमूल दिनांक 22.3.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 4 में वर्णितानुसार अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने से उत्पन्न होकर निरन्तर उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद में विवादमूल स्थल, विवादग्रस्त सम्पत्ति स्थल मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद पत्र को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है ।

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति संस्था इत्यादि को विकय, हस्तान्तरित कर कब्जा नहीं संभलावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय वादी के हक में उचित समझे पारित फरमाये जावे ।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 17.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश नही दिनांक 13.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे का अवसर बन्द किये जाने के आदेश दिये गये। व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादी सूनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दुहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति संस्था इत्यादि को विकय, हस्तान्तरित कर कब्जा नहीं संभलावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय वादी के हक में उचित समझे पारित फरमाये जावे

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि वादी ने भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 2.22 है0 ग्रांम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जनेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि के खातेदार भंवर लाल पुत्र पॉचूराम की 20910 वर्गमीटर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

में से भंवर लाल जरिये मुखत्यार आम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1997 को 380.87 वर्गमीटर (3.01 बिस्वा) भूमि क्रय की तथा वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी राजकीय सेवा में कार्यरत होने से अक्सर बाहर रहता है, जिससे वादी समय समय पर वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की देखभाल करता रहता है। प्रतिवादीगण भू–माफिया व्यक्ति है, जो वादी की वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि को हडपना चाहते है, जिसका कि उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी जब वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित अपनी भूमि को संभालने मौके पर गया तो प्रतिवादीगण 8–10 अन्य व्यक्तियों के साथ एकराय होकर वादी की उक्त भूमि पर आये तथा उक्त भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण व निर्माण करने की बातचीत करने लगे, जिस पर वादी ने उनसे उक्त अवैध व गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तो प्रतिवादीगण व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति वादी से नाराज हो गये तथा वादी से कहा कि उक्त भूमि से तुम्हारा कोई संबंध व सरोकार नहीं है, उक्त भूमि पर हम निर्माण कार्य करेगे, जिसका वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादी के साथ गाली गलौच की तथा वादी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गये, वादी शान्ति प्रिय, इज्जतदार व सरकारी कर्मचारी व न्याय में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादीगण धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली व भू–माफिया व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी द्वारा सर्वप्रथम पैमाईश हेतु तहसीलदार सांगानेर के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन पेश करे।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा किया जाता है कि वाके ग्रांम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 2.22 है0 के खातेदार ांवर लाल पुत्र पॉचूराम की 20910 वर्गमीटर भूमि में से भंवर लाल जरिये मुखत्यार आम से जरिये जिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.1997 को 380.87 वर्गमीटर (3.01 बिस्वा) भूमि क्रय की गई भूमि ा वादी तहसीलदार सांगानेर के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन पेश करे। सीमाज्ञान हो जाने के पश्चात ीमाज्ञान अनुसार सीमाचिन्ह कायम करे। जब तक सीमाज्ञान होकर सीमाचिन्ह पत्थगढी नही हो जाती ब तक अप्रार्थी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नांक 23.10.1997 को 380.87 वर्गमीटर (3.01 बिस्वा) भूमि क्रय की गई भूमि में किसी प्रकार का ई निर्माण आदे नही करे, करावे तथा उक्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति संस्था इत्यादि को विक्रय , ान्तरित कर कब्जा नही संभलावे। वादग्रस्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26 .05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर